



उत्तर:-भारत संघ जो राज्यों के संघ के रूप में हैं, यहाँ संघ व राज्यों के मध्य विभिन्न प्रशासनिक विषय विवादास्पद हैं। अनुच्छेद 256 व 257 के तहत राज्यों द्वारा कार्यपालिका शक्ति के उपयोग संबंधी प्रावधान किये गये हैं किन्तु भारत की राजनैतिक व प्रशासनिक संरचना में विवाद ग्रस्त प्रशासनिक आधार विद्यमान है। राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद रही हैं व केन्द्र द्वारा राज्यों में विरोधी दल की सरकार होने पर कार्य संचालन में बाधा व अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के आरोप लगाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवकों के आचरण व उनकी केन्द्र के लिए अधिक प्रतिबद्धता एवं राज्यों की अनुपत्ति के बिना अर्द्धसैन्य बलों की तैनाती CBI की जाँच राज्य केन्द्र में मतभेद के प्रमुख आधार हैं। केन्द्र-राज्य संबंधों की समीक्षा पर विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत हुए इनमें राज्य पुनर्गठन आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव, सरकारिया आयोग, पुष्टी आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन प्रमुख हैं। इस संदर्भ में अन्तराज्यीय परिषद का गठन, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण व योजना निर्माण में राज्यों की भूमिका में वृद्धि (नीति आयोग GST परिषद) जैसे प्रयास किये जा रहे हैं।